प्रेस विज्ञप्ति
18/06/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 55.07 लाख रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां इलाहाबाद निवासी मोहम्मद जावेद के खाते में जमा बैंक बैलेंस के रूप में हैं।

ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियां बनाईं और रियल एस्टेट क्षेत्र और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड योजना में जनता से धन एकत्र किया।

ईडी की जांच में फंड ट्रेल की पहचान की गई और पता चला कि ग्राहकों से एकत्रित धन को कई लेन-देन के माध्यम से स्तरित किया गया, अंतरित किया गया और अंततः समूह के करीबी सहयोगियों को भेजा गया। ऐसे ही एक सहयोगी, मोहम्मद जावेद को विपथित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा मिला। उसका बैंक खाता, जिसमें अपराध की आय पाई गई थी, अब पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

ईडी ने पहले 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिससे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य, धन-शोधन से संबंधित अपराध-संकेती दस्तावेज और अचल और चल संपत्तियों का विवरण बरामद हुआ था। अब तक, लगभग 264.10 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की गई हैं, और आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने कंपनियों और संस्थाओं सहित 38 व्यक्तियों के खिलाफ छह अभियोजन शिकायतें (पीसी) दर्ज की हैं, जिनमें से सभी का माननीय विशेष न्यायालय ने संज्ञान लिया है। हजारों पीड़ितों को उनका धन वापस करने के प्रयास के क्रम में पीओसी के पुनर्स्थापन की प्रक्रिया जारी है।

आगे की जांच जारी है।